प्रमाण पत्र
प्रादर्श–"स"

उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को ऑटिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु तहसील कोण्डागांव मे वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **ग्राम चिखलपुटी** ख0नं0 1/24 रकबा 0.008 हे0, ख0नं0 1/20 रकबा 0.010 हे0, **ग्राम दहिकोंगा** ख0नं0 2/1क रकबा 0.005 हे0, 2/1क रकबा 0.002 हे0 **ग्राम दूधगांव** ख0नं0 6/1,9,12,14 रकबा 0.030 हे0 व 3/1 रकबा 0.009 हे0 एवं **ग्राम घोड़ागांव** ख0नं0 271 रकबा 0.006 हे0, 277 रकबा 0.000 हे0, 325/1 रकबा 0.019 हे0 **कुल रकबा 0.089** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि **कुल रकबा 0.089**/ वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम **चिखलपुटी, दहिकोंगा दूधगांव, घोड़ागांव** तहसील **कोण्डागांव** में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव **चिखलपुटी दिनांक** 06.02.2021, **दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोडागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021** (प्रादर्श–"ब") द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत **चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021** के अध्यक्षता में हुई बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत सदस्यों उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 मे0)
1	—	—	—

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव **चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021** के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006" की धारा–3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रुप से संरक्षित रखना है ।

..2..

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा **चिखलपुटी दिनांक 06.02.2021, दुधगांव दिनांक 06.02.2021 घोड़ागांव 05.04.2021 दहिकोंगा 23.03.2021** के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 की धारा–3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

कलेक्टर
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)